

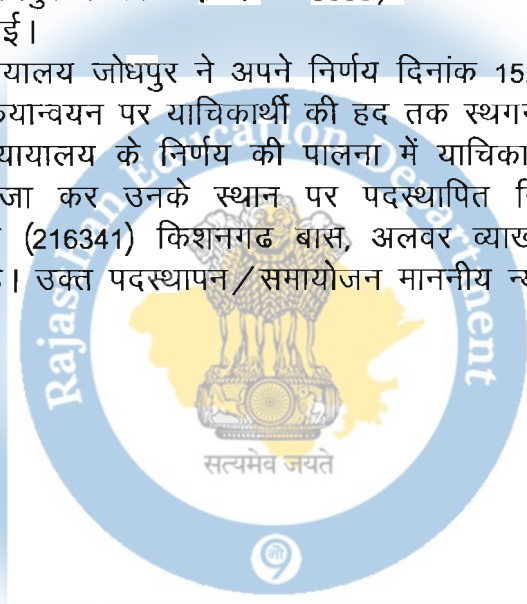
## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

### कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक— शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/स्थानांतरण /2020-21/1-42 दिनांक 07.02.2021 के द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, व्याख्याता राजनीति विज्ञान राउमावि कायसा, नीमराना, अलवर का स्थानांतरण राउमावि कालेड, थानागाजी, अलवर किया गया तथा निहाल सिंह चौरेडिया का स्थानांतरण राउमावि घाटोल, बांसवाडा से कायसा, नीमराना, अलवर किया गया। वीरेन्द्र सिंह यादव ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 3066/2021 वीरेन्द्र सिंह यादव बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अतः माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 15.02.2021 में आदेश दिनांक 09.02.2021 के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर याचिकार्थी की हद तक स्थगन प्रदान किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में याचिकार्थी वीरेन्द्र सिंह यादव का पदस्थापन यथावत किया जा कर उनके स्थान पर पदस्थापित निहाल सिंह चौरेडिया का समायोजन राउमावि बागोदा (216341) किशनगढ बास, अलवर व्याख्याता राजनीति विज्ञान के रिक्त पद पर किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन माननीय न्यायालय के आगामी, अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक: 10/03/2021

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/अभ्यावेदन/ या. 3066/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग .....
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा .....
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा .....
4. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर .....
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि/राबाउमावि .....
8. गार्ड फंजिका।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर